



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 12970/2017**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन द्वितीय जयपुर

### द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 निर्णय

दिनांक : 21-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनूप गहराना, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 30-12-16 लोक सूचना अधिकारी ए.सी.एस., पी.डब्ल्यू.डी. जोन-II, जयपुर को प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15-10-16, जो कि दिनांक 4-11-16 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त हुआ, के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि चाही गई सूचना विभिन्न चार जोनों से सम्बन्धित थी अतः सम्बन्धित सभी जोनों द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अब प्रकरण में कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है। यह भी स्पष्ट किया कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के पत्र दिनांक 3-2-17 के द्वारा प्राप्त सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्र दिनांक 16-2-17 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त जयपुर ने पत्र दिनांक 7-2-17, अधीक्षण अभियन्ता वृत्त ग्रामीण जयपुर ने पत्र दिनांक 23-3-17 एवं अधीक्षण अभियन्ता वृत्त अलवर के पत्र दिनांक 10-4-17 के अनुसार एवं अधिशाषी अभियन्ता खण्ड राजगढ़ के पत्र दिनांक 8-2-17 के द्वारा चाही गई सूचना सीधे ही अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**  
**मुख्य सूचना आयुक्त**